

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- भाकरनाथ पुत्र ढगलनाथ --बनाम:-

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र

नम्बर :-218/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
07.07.23	<p>प्रार्थी उपस्थित।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प केकिन्दड़ा में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- केकिन्दड़ा में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी सं. 2075-78 के खाता सं. 409 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम भाकरराम पुत्र ढगलनाथ दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में भाकरनाथ पुत्र ढगलनाथ हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम भाकरराम पुत्र ढगलनाथ के स्थान पर भाकरनाथ पुत्र ढगलनाथ शुद्ध किये जाने का निवेदन किया हैं।</p> <p>प्रशासन गांवो के संग अभियान केकिन्दड़ा में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- केकिन्दड़ा में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 409 में संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम भाकरराम पुत्र ढगलनाथ दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में भाकरनाथ पुत्र ढगलनाथ दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम भाकरराम पुत्र ढगलनाथ के स्थान पर भाकरनाथ पुत्र ढगलनाथ शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं।</p> <p>अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा- केकिन्दड़ा में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 409 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि भाकरराम पुत्र ढगलनाथ को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक “ भाकरनाथ पुत्र ढगलनाथ ” दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	



SDO (ग्राम सुदर विभागा)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)